न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 72/22 (04/2008)

विनोद कुमार पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन खांटा बारानी तहसील रायसिंहनगर।

प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

श्योप्रकाश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी मोटासर खूनी तहसील श्री करणपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री गुरजीतसिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक : 09–06–22

हस्तगत प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के सारवान एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी को चक 13 ओर जे डी तह0 घड़साना के मु0 नं0 77/48 में 25 बीघा रकबा दिनांक 21–12–1981 को अलॉट हुआ था तथा उसके पिता से हिस्से में 10 बीघा रकबा मिला था। इस प्रकार अप्रार्थी के पास कुल 35 बीघा रकबा था।

अप्रार्थी ने तथ्यों को छिपा कर गॉव खांटा बारानी में मु0 नं0 117 प0 सं0 278/288 में 25 बीघा रकबा इस आधार पर अलॉट करवा लिया कि उपरोक्त रकबा टी सी पर उसके पिता के नाम था जबकि उसके पिता के नाम से कभी भी टी सी पर रकबा नहीं रहा। पत्रावली सं0 121/02 में दिनांक 15–5–92 को उपरोक्त रकबा तथ्यों को छिपा कर अपने नाम से अलॉट करवा लिया है।इस प्रकार निवेदन किया है कि चक खांटा बारानी का मु0 नं0 117 प0 सं0 278/288 में 25 बीघा रकबा खारिज किया जावे।

शिकायत अर्धना पत्र के समर्थन में शिकायतकर्ता ने पत्रावली सं0 121/92 श्योप्रकाश पुत्र साहबराम जाट साकिन भादवांवाला के प्रकरण में दिनांक 15–5–92 को अप्रार्थी को डि–कोलोनाईज भूमि वाके चक खांटा बारानी मु0 नं0 117 की 25 बीघा भूमि वर्तमान आरक्षित दर 416/– रू0 प्रति बीघा के हिसाब से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पुख्ता आवंटन की गई है। आवंटन हेतु श्योप्रकाश द्वारा किए गए आवेदन की प्रति भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें अप्रार्थी द्वारा पूर्व की भूमि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदन पत्र के बिन्दू सं0 4 में अंकित किया है कि श्योप्रकाश के धारण में कोई भूमि नहीं है। उक्त आवंटन से पूर्व अप्रार्थी के धारण में मिसल सं0 163/81 में दिनांक 2-12-1981 को चक 13 आर जे डी के मु0 नं0 77/48 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि अलॉट हो चुकी थी। शिकायतकर्ता द्वारा इस आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

पत्रावली अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि आवंटन से पूर्व अप्रार्थी के धारण में मिसल सं0 163/81 में दिनांक 2-12-1981 को चक 13 आर जे डी के मु0 नं0 77/48 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि अलॉट हो चुकी थी। तथ्यों को छिपा कर अप्रार्थी ने दिनांक 15-5-92 को डि-कोलोनाईज भूमि वाके चक खांटा बारानी मु0 नं0 117 की 25 बीघा भूमि वर्तमान आरक्षित दर 416/- रू0 प्रति बीघा के हिसाब से पुख्ता आवंटन करवाई है। अतः तथ्यों को छिपा कर करवाया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी बावजूद विधिवत् तामील उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 11-10-11 के अनुसार अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई थी।

राजकीय अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, रायसिंहनगर की भूमि के संबंध में रिपोर्ट कमांक टी0आर0ए0 /08/683 दिनांक 10-03-2008 के अनुसार :-

1. चक खांटा बारानी के मु0 नं0 117 का 6.325 है0 रकबा पूर्व में अप्रार्थी के पास टी0 सी0 पर था। दिनांक 18-5-92 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा पुख्ता आवंटन कर दिया। उक्त रकबे की समस्त किश्ते जमा होने पर सनद सं0 82280 दिनांक 21-1-99 को अप्रार्थी के पक्ष में जारी की गई। उक्त रकबा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26-10-2007 को रामसिंह पुत्र जगदीश राम जाति जाट सा0 भादंवावाला को बेचान कर दिया जिसका इंतकाल सं0 286 दिनांक 6-11-07 स्वीकृत हुआ।

रिपोर्ट कमांक टी0आर0ए0/08/973 दिनांक 8-5-08 में वर्णित किया है कि खरीददार रामसिंह द्वारा दिनांक 10-3-2008 को सुमित्रादेवी पत्नी सत्यप्रकाश जाति यादव साकिन श्री गंगानगर को बेचान कर दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अप्रार्थी को मिसल सं0 163/81 में दिनांक 2-12-1981 को चक 13 आर जे डी के मु0 नं0 77/48 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि अलॉट हो चुकी थी। अप्रार्थी ने उक्त तमाम तथ्यों को छिपा कर दिनांक 15-5-92 को वाके चक खांटा बारानी मु0 नं0 117 की 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन करवा ली। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर करवाया गया आवंटन विधिविरूद्व है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हालॉकि पत्रावली पर यह तथ्य भी आया है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15-5-92 से आवंटित करवाये गये चक खांटा बारानी की भूमि को पहले दिनांक 26-10-2007 को रामसिंह पुत्र जगदीश राम जाति जाट सा0 भादंवावाला को बेचान कर दिया जिसका इंतकाल सं0 286 दिनांक 6-11-07 स्वीकृत हो चुका है तथा

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बाद में खरीददार रामसिंह द्वारा दिनांक 10–3–2008 को सुमित्रादेवी पत्नी सत्यप्रकाश जाति यादव साकिन श्री गंगानगर को बेचान कर दिया गया है। चूँकि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर जो दिनांक 15–5–92 को आवंटन करवाया गया है वह प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है तथा उस आवंटन के संबंध में किये गये बेचान भी अवैध एवं शून्य हैं।

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अप्रार्थी ने तथ्यों को कर दिनांक 15–5–92 को वाके चक खांटा बारानी मु0 नं0 117 की 25 बीघा भूमि जो पुख्ता आवंटन करवाई है वह प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है जिसका आवंटन निरस्त की जाती है। उक्त आवंटित भूमि पात्रता से अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। तहसीलदार, रायसिंहनगर को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना में उक्तानुसार भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।